



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274685
CG-DL-E-21072026-274685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

No. 587]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

(आय-कर)

सा.का.नि. 646(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 262 के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आयकर नियम, 2026 के नियम 157 के उपनियम (5) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
(ग) “विनिर्दिष्ट निधि” से—

(ii) भारत में न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जिसे निम्नलिखित के अधीन विनियमित किया जाता है—

(अ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निधियों का वैकल्पिक निवेश) विनियम, 2012; या

(आ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 और जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है ; या

(ii) कोई निधि, जिसे अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ)] में निर्दिष्ट किया गया है ;'।

[सं. 94/2026/फा. सं. 370142/24/2026-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : आय-कर नियम, 2026, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 198(अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ) तारीख 31 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2026

(INCOME-TAX)

G.S.R. 646(E).— In exercise of the powers conferred by section 533 read with section 262 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 2026, namely: —

- (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Income-tax Rules, 2026, in rule 157, in sub-rule (5), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

‘(c) “specified fund” means —

(i) any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or Category II Alternative Investment Fund and is regulated under —

(A) the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); or

- (B) the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and which is located in any International Financial Services Centre; or
- (ii) any fund which has been referred to in Schedule VI [Note 1(g)] to the Act;’.

[No. 94/2026/F. No. 370142/24/2026-TPL]

ROHIT SINGH, Uunder Secy.

Note: The Income-tax Rules, 2026 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 198(E), dated the 20th March, 2026 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2026.